राज्य भूजल संरक्षण मिशन

प्रस्तावना–

उत्तर प्रदेश में जहाँ 70% सिंचित कृषि मुख्य रूप से भूजल संसाधनों पर निर्भर है, वहीं 80% से अधिक पेयजल आपूर्ति व औद्योगिक सेक्टर की अधिकतर आवश्यकताएँ भूगर्भ जल से ही पूरी होती हैं। भूजल स्रोतों पर बढ़ती निर्भरता के परिणामस्वरूप इस प्राकृतिक स्रोत का अनियंत्रित व अन्धाधुन्ध दोहन होने से प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में भूजल स्तर में विगत वर्षों में उल्लेखनीय गिरावट परिलक्षित हुई है, जिसके कारण यह स्रोत संकटग्रस्त स्थिति में पहुँच गये हैं। विगत दशक में अतिदोहित/क्रिटिकल विकासखण्डों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2013 के आकलन में प्रदेश के 172 विकासखण्ड अतिदोहित/क्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत किये गये हैं, जो एक चिन्ता का विषय है। साथ ही, 45 विकासखण्ड सेमीक्रिटिकल श्रेणी में रखे गये हैं। इन समस्याग्रस्त विकासखण्डों के अतिरिक्त बुन्देलखण्ड व विन्ध्य क्षेत्र के अधिकांश विकासखण्ड यद्यपि सुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत हैं, किन्तु वहाँ की जटिल भूगर्भीय स्थितियों के कारण वर्षा का एक बड़ा भाग रन–आफ होने से भूजल उपलब्धता का संकट सदैव बना रहता है। इन ग्रामीण क्षेत्रों के साथ–साथ प्रदेश के 22 शहरों में भी अत्यधिक दोहन के कारण भूजल स्तर में तेजी से गिरावट हुई है, फलस्वरूप इन शहरों में भी भूजल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। उक्त अनुसार चिन्हित विकासखण्डों एवं शहरी क्षेत्रों की सूची संलग्नक–1 में अवलोकनीय है। इनमें भूजल संसाधनों की संकटग्रस्त स्थिति में प्रभावकारी सीमा तक सुधार लाये जाने हेतु यह नितान्त आवश्यक हो गया है कि उपलब्ध भूजल संसाधनों का समग्र व सघन अध्ययन करते हुए ऐसे क्षेत्रों हेतु implementable micro plans तैयार किये जायें, जिनका उपयोग करके विभिन्न विभागों द्वारा भूजल संरक्षण एवं जल प्रबन्धन के विभिन्न उपायों/गतिविधियों को समेकित रूप से मिशन मोड में क्रियान्वित किया जा सके। इस उद्देश्य के साथ प्रदेश में **'राज्य भूजल संरक्षण मिशन'** के रूप में नवीन महत्वाकांक्षी योजना आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव है। लक्ष्य यह है कि संकटग्रस्त विकासखण्डों एवं शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज की उपयुक्त विधियों की संरचना करते हुए भूजल संसाधनों की उपलब्धता में प्रभावकारी सीमा तक वृद्धि की जा सके। साथ ही, जल संरक्षण/बचत के दक्ष उपायों को अपनाकर भूजल दोहन की वर्तमान दर में कमी लायी जाये। मिशन के अन्तर्गत चिन्हित कार्यों को विभिन्न सम्बन्धित विभागों में संचालित योजनाओं एवं उनमें उपलब्ध धनराशि के कन्वर्जेन्स के माध्यम से क्रियान्वित कराने का लक्ष्य है।

2– मिशन क्षेत्र का चयनः

राज्य भूजल संरक्षण मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के कुल 271 विकासखण्डों एवं 22 शहरों में क्षेत्रवार माइक्रो प्लानिंग के आधार पर भूजल संसाधनों के समग्र अध्ययन एवं जल संचयन व प्रबन्धन के विविध उपायों को समेकित रूप से क्रियान्वित किये जाने की योजना है।

(1) **चयनित विकासखण्ड एवं शहरों की संख्याः** मिशन अन्तर्गत प्रदेश में चयनित विकासखण्ड एवं शहरों की संख्या (सूची संलग्नक–1 में प्रस्तुत) निम्न प्रकार हैः–

क0सं0	विकासखण्ड		शहर (संख्या)
	श्रेणी	संख्या	
1	अतिदोहित, क्रिटिकल एवं सेमीक्रिटिकल	217	22
2	बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्यन क्षेत्र के समस्त सुरक्षित विकासखण्ड	54	
योग		**271**	**22**

(2) **मिशन के वर्षवार माइलस्टोनः**

वर्ष	विकासखण्ड	नगरीय क्षेत्र
प्रथम वर्ष	25	–
द्वितीय वर्ष	40	3
तृतीय वर्ष	70	6
चतुर्थ वर्ष	70	7
पंचम वर्ष	66	6
योग	**271**	**22**

(3) **वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु चयनित क्षेत्रः** वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस मिशन हेतु कुल 25 विकासखण्डों, जिसमें बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत 15 विकासखण्डों यथा– जनपद चित्रकूट के विकासखण्ड–कर्वी, रामनगर, मऊ, जनपद महोबा के विकासखण्ड–जैतपुर, पनवारी, चरखारी, कबरई, जनपद बांदा के विकासखण्ड–बरोखर खुर्द, जसपुरा, तिंदवारी, जनपद हमीरपुर के विकासखण्ड–राठ, कुरेरा, सरीला, जनपद झांसी का विकासखण्ड–बमौर, जनपद ललितपुर का विकासखण्ड –तालबेहट, पूर्वी क्षेत्र के 07 विकासखण्डों यथा – जनपद जौनपुर के विकासखण्ड –केराकत, बदलापुर, सिरकोनी, जनपद प्रतापगढ़ के विकासखण्ड–शिवगढ़, संडवा–चन्द्रिका, जनपद वाराणसी के विकासखण्ड–अराजीलाइन, हरौहा तथा पश्चिमी क्षेत्र के 03 विकासखण्डों यथा– जनपद मेरठ का विकासखण्ड–रजपुरा, जनपद मुरादाबाद के विकास

खण्ड–बिलारी, दिलारी सम्मिलित हैं, को मिशन की गतिविधियों हेतु चयनित किया गया है।

(4) प्रत्येक वर्ष मिशन के अन्तर्गत विकासखण्डों का चयन मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से किया जायेगा।

3– मिशन का नियोजनः

3.1– विशेषज्ञ समितिः

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–252/2005 में पारित आदेश दिनांक 30 जनवरी, 2017 के आलोक में उत्तर प्रदेश राज्य का ''भूजल रिचार्ज का मास्टर प्लान'' समग्र रूप से तैयार किये जाने एवं उसे समन्वित व समेकित ढंग से क्रियान्वित कराये जाने के उद्देश्य से **विशेषज्ञ समिति** का गठन शासनादेश संख्या–180/62–1–2017–01डब्लू0पी0/2017, दिनांक 23–02–2017 (छायाप्रति संलग्न–2) द्वारा किया गया है।

विशेषज्ञ समिति के निम्न कार्य दायित्व होंगेः–

i- विशेषज्ञ समिति द्वारा विकासखण्डों का चयन मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त किया जायेगा।

ii- विशेषज्ञ समिति द्वारा समन्वय एवं अनुश्रवण त्रैमासिक किया जायेगा।

3.2– जनपद स्तरीय तकनीकी समन्वय समिति (टी0सी0सी0):

प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित वर्षा जल संचयन एवं कृत्रिम भूगर्भ जल रिचार्ज योजनाओं का जनपद स्तर पर एकीकृत प्लान तैयार करने, विभिन्न विभागों में आपसी समन्वय स्थापित करने तथा प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय तकनीकी समन्वय समिति (टी0सी0सी0) का गठन शासनादेश संख्या–2181/62–1– 2000–11एक्यू/2000, दिनांक 02–12–2004 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या–690/62–1–2005–1106/2004, दिनांक 19–04–2005 (छायाप्रतियाँ संलग्न–3 व 4) द्वारा किया गया है।

जनपद स्तरीय तकनीकी समन्वय समिति (टी0सी0सी0) के निम्न कार्यदायित्व होंगेः–

i- विकासखण्डों का चयन करना।

ii- चिन्हित विकासखण्डों हेतु माइक्रो प्लान्स/डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में अनुश्रवण, समन्वय करते हुए तैयार करना।

iii-विभागों द्वारा डी0पी0आर0 में क्रियान्वयन व समन्वय कराया जाना।

iv-जनपद स्तरीय कार्यों का अनुश्रवण।

3.3–मिशन नियोजन की गतिविधियाँः

i- **मास्टर प्लान तैयार करनाः** मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर रिट पिटीशन (सिविल) संख्या–252/ 2005, ट्री व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सभी 271 विकासखण्डों के लिए समेकित मास्टर प्लान आगामी 30 सितम्बर, 2017 तक तैयार किया जायेगा।

ii- **डी0पी0आर0 तैयार करनाः** डी0पी0आर0 तैयार करते समय क्षेत्र विशेष एवं उपलब्ध निष्कर्षों एवं संस्तुतियों के अनुसार वाटरशेडवार माइक्रो प्लानिंग की जायेगी, जिसके आधार पर विभाग द्वारा हर विकासखण्ड हेतु डी0पी0आर0 तैयार की जायेगी।

उक्त डी0पी0आर0 में क्षेत्र की हाइड्रोलाजिकल परिस्थिति का आकलन करके जल सम्वर्धन एवं संचयन की सम्भावयता और सस्सटेनेबिलिटी ज्ञात कर विभाग intervention सम्मिलित किये जायेंगे।

iii- **उन्मुखीकरण कार्यशालाएँ (Orientation Workshops):**

विकासखण्ड को वाटर शेड के सिद्धान्त पर वर्गीकृत करते हुए रिचार्ज हेतु उपलब्ध क्षेत्रों एवं उन क्षेत्रों में सम्भावित संरचनाओं यथा चैक डैम, तालाब, पैरीफेरल बंध इत्यादि की सम्भावित स्थिति को दर्शाते हुए इन संरचनाओं से होने वाले रिचार्ज की गणना की जाएगी । तदोपरान्त कार्यशालाएं आयोजित करते हुए विभिन्न कार्यदायी विभागों यथा–लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 जल निगम, ग्राम्य विकास विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग, परती भूमि विकास विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उद्यान विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन आदि से फीडबैक प्राप्त करने के उपरान्त माडल डी0पी0आर0 तैयार कर उसे प्रचारित किया जायेगा । इस माडल डी0पी0आर0 के आधार पर विभिन्न कार्यदायी विभाग अपनी–अपनी योजनाओं के अनुसार कार्ययोजना बनाकर एवं टी0सी0सी0 से अनुमोदन कराकर उसका क्रियान्वयन करेंगे।

(अ) बांदा में दिनांक 30 मई, 2017 को एक मण्डल स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भूजल संरक्षण/प्रबन्धन से सम्बन्धित प्रस्तुतीकरण किया गया। मण्डल बांदा के जनपद–महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट एवं बांदा की भूजल परिदृश्य रिपोर्ट तैयार की गयी, जो विभागीय वेबसाइटः www.upgwd.gov.in पर उपलब्ध है।

(ब) झांसी में मण्डल स्तरीय कार्यशाला दिनांक 04.08.2017 को आयोजित की गई।

(स) मुरादाबाद एवं वाराणसी में भी उपरोक्तानुसार अगस्त/सितम्बर, 2017 में कार्यशालाएँ आयोजित की जायेंगी।

उक्तानुसार कार्यशालाओं में प्रस्तुतीकरण के उपरान्त प्राप्त फीडबैक को तैयार की जाने वाली कार्ययोजनाओं में सम्मिलित किया जायेगा।

iv- **हर विकासखण्ड/शहरी क्षेत्र हेतु मिशन कार्ययोजना तैयार करनाः** चिन्हित विकासखण्डों की कार्ययोजना भूगर्भ जल विभाग द्वारा तैयार करने की मेथडोलाजी आगे प्रस्तर–4.2 में वर्णित है, जिससे सम्बन्धित सैम्पल डी0पी0आर0 भी संलग्न है। भूगर्भ जल विभाग द्वारा इसे सम्बन्धित विभागों को परिचालित किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि चिन्हित विभागों यथा– लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 जल निगम, ग्राम्य विकास विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग, परती भूमि विकास विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उद्यान विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन आदि विभागों को चिन्हित किया गया है, जिनके द्वारा संचालित कार्यों का विस्तृत उल्लेख प्रस्तर–5 ''मिशन की गतिविधियों का क्रियान्वयन'' के अन्तर्गत दृष्टव्य है। क्षेत्रीय फीजिबिलिटी के आधार पर वर्तमान प्रचलित योजनाओं के तहत सप्लाई साइड एवं डिमाण्ड साइड उपायों को हर विभाग द्वारा चिन्हित करते हुए सम्मिलित किया जायेगा। तदोपरान्त जनपद स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा विस्तृत चर्चा उपरान्त डी0पी0आर0 को अनुमोदित किया जायेगा।

4– भूगर्भ जल विभाग के दायित्वः

विभाग के मुख्य कार्य दायित्व इस प्रकार हैंः–

1. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भूजल स्तर की मानीटरिंग।
2. भूजल संसाधनों का विकासखण्डवार आकलन।
3. वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से भूजल संसाधन का सर्वेक्षण एवं क्षेत्रीय अध्ययन।
4. भूजल प्रतिवेदन तैयार करना।

5. जी0आई0एस0 तकनीक के माध्यम से जनपदवार भूजल मैपिंग का कार्य।
6. एक्यूफर मैपिंग/भूजल मानचित्रीकरण का कार्य।
7. जन–जागरूकता हेतु दिनांक 16 से 22 जुलाई के मध्य ''भूजल सप्ताह'' का आयोजन।
8. भूजल गुणवत्ता से सम्बन्धित वैज्ञानिक अध्ययन/समग्र मैपिंग।
9. भूजल प्रबन्धन, वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज हेतु समग्र नीति के प्राविधानों/कार्यबिन्दुओं से सम्बन्धित कार्य।
10. रिचार्ज की तकनीकी गाइडलाइन तैयार करना एवं परामर्श दिया जाना।
11. शासकीय भवनों पर रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना का कार्य।
12. प्रदेश के संकटग्रस्त क्षेत्रों में प्रचार–प्रसार एवं जनजागरूकता के कार्यक्रम संचालित करना।

4.1–भूजल गतिशीलता (Ground water dynamics) के आकलन हेतु समग्र अध्ययनः

भूजल प्रबन्धन एवं नियोजन की दृष्टि से किसी भी क्षेत्र में विभिन्न कार्यों/गतिविधियों (interventions) को चिन्हित करने एवं उनको क्रियान्वित करने से पूर्व क्षेत्र विशेष में विद्यमान भूजल परिस्थितियों का आकलन आवश्यक है। इसके लिए ऐसे क्षेत्रों में भूजल संसाधनों की डायनमिक्स का अध्ययन एवं हाइड्रोजियोलाजिकल आँकड़ों व सूचनाओं को एकत्र करके भूजल का बेस–लाइन इन्फारमेशन तैयार किये जाने की आवश्यकता है। मिशन के कार्यों के संचालन हेतु इस गतिविधि को सम्मिलित किया गया है, जिसके अन्तर्गत निम्न कार्य सम्पादित किये जायेंगेः–

(1) **भूजल के समग्र डाटा बेस का विकासः** मिशन में चिन्हित विकासखण्डों एवं शहरों हेतु भूगर्भ जल एवं अन्य सम्बन्धित प्रक्षेत्रों के विभिन्न आँकड़ें एवं सूचनाएँ एकत्र व संकलित की जायेंगी, जिससे प्रश्नगत क्षेत्र के समग्र डाटा बेस का सृजन/विकास हो सकेगा, जो भूजल नियोजन के लिए अत्यन्त उपयोगी रहेगा।

(अ) **भूजल एवं सम्बन्धित आँकड़ों का एकत्रीकरण, संकलन एवं विश्लेषणः** इसके अन्तर्गत विकासखण्डवार ग्राम पंचायतों का विवरण, विगत 10 वर्षों के वर्षा के दैनिक आँकड़ें, लघु सिंचाई कार्यों के ग्रामवार आँकड़ें, वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्जिंग के क्रियान्वित कार्यों का पूर्ण विवरण लोकेशन सहित, ड्रिप व स्प्रिंकलर से आच्छादित क्षेत्रों के आँकड़ें, कम जल खपत वाली फसलों के बीजों

से आच्छादित क्षेत्र तथा फसल चक्र में परिवर्तन से सम्बन्धित विवरण, भूजल गुणवत्ता से सम्बन्धित सेकेण्डरी डाटा, पूर्व में कराये गये पम्पिंग टेस्ट/यील्ड टेस्ट के आँकड़ें, पेयजल एवं सिंचाई से सम्बन्धित नलकूपों की लोकेशन एवं स्ट्रेटा चार्ट एवं अन्य सम्बन्धित सूचनाएँ, बोई जाने वाली फसलों से आच्छादित क्षेत्रफल एवं सिंचाई के स्रोतों का विवरण, पूर्व में सम्पादित जियोफिलिकल सर्वेक्षण की रिपोर्ट का विवरण आदि आँकड़ों का एकत्रीकरण व संकलन किया जायेगा। इन आँकड़ों/सूचनाओं के एकत्रीकरण, संकलन व विश्लेषण के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश भूगर्भ जल विभाग (निदेशक) द्वारा पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

(ब) **भूजल मानचित्रीकरण कार्यः** इसके अन्तर्गत मैपिंग/मानचित्रीकरण के निम्न कार्य जी0आई0एस0 प्लेटफार्म पर सम्पादित किये जायेंगेः–

क– विकासखण्ड का ग्राम/ग्राम पंचायतवार इन्डैक्स मानचित्र

ख– नलकूपों, चेकडैम, तालाब आदि का लोकेशन मानचित्र

ग– ड्रेनेज, वाटरशेड, जियोमार्फोलाजिकल मानचित्र (रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर के माध्यम से)

घ– जियोलाजिकल मानचित्र (भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के माध्यम से)

ङ– नहर तंत्र का मानचित्र (सिंचाई विभाग के माध्यम से)

च– लैण्ड यूज मानचित्र (विभिन्न फसलों पर आधारित)

छ– हाइड्रोग्राफ स्टेशन (पीजोमीटर एवं कूप) का लोकेशन मानचित्र

ज– भूजल स्तर का कन्टूर मानचित्र

झ– ग्राम पंचायत मानचित्र पर भूजल स्तर जोन मैपिंग विगत 5 वर्षों हेतु (प्री एवं पोस्ट मानसून)

ञ– फेन्स डायग्राम/लीथोलाजिकल मैपिंग (कम से कम 2 अथवा 3 सेक्शन हेतु)

ट– भूजल गुणवत्ता मानचित्र

(स) चिन्हित शहरी क्षेत्रों हेतु भी उपरोक्तानुसार समस्त सम्बन्धित आँकड़ों का एकत्रीकरण, संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा और विभिन्न परिदृश्य के भूजल, लैण्डयूज आदि मानचित्र तैयार किये जायेंगे, जिसके सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निदेशक द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

(2) **भूजल आकलन के रिफाइनमेन्ट हेतु एक्यूफर पैरामीटर्स का आकलनः** भूगर्भ जल संसाधनों की सटीक जानकारी ज्ञात करने हेतु यह आवश्यक है कि क्षेत्र में विद्यमान

एक्यूफर्स के विभिन्न हाइड्रोलाजिकल पैरामीटर्स/गुणों का आकलन किया जाये, क्योंकि भूजल संसाधनों की उपलब्धता की गणना के रिफाइनमेन्ट हेतु इन एक्यूफर पैरामीटर्स की विशेष भूमिका होती है। इस हेतु यील्ड टेस्ट/पैरामीटर टेस्ट के माध्यम से एकयूफर्स की स्पेसिफिक यील्ड, ट्रांसमिजिविटी, स्टोरेविटी आदि पैरामीटर्स ज्ञात किये जायेंगे, जिससे भूजल संसाधन आकलन में गुणात्मक सुधार (रिफाइनमेन्ट) आ सकेगा।

क–बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्यन क्षेत्र में प्रति विकासखण्ड 03 यील्ड टेस्ट (Yield test) सम्पादित किये जायेंगे।

ख–एल्यूवियल क्षेत्र के विकासखण्डों में प्रति विकासखण्ड लम्बी अवधि का 01 एक्यूफर पैरामीटर/पम्पिंग टेस्ट सम्पादित किया जायेगा।

पैरामीटर टेस्ट व यील्ड टेस्ट के सम्पादन के सम्बन्ध में विस्तृत तकनीकी दिशा–निर्देश निदेशक द्वारा पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

(3) **भूजल ड्राफ्ट का आकलनः** भूजल संसाधनों के विकासखण्डवार आकलन हेतु सामान्यतः नलकूपों/लघु सिंचाई संरचनाओं से होने वाले भूजल दोहन की गणना के लिए वर्तमान में यूनिट ड्राफ्ट (प्रति नलकूप औसत भूजल दोहन) के निर्धारित मानक को आधार लिया जाता है। मिशन के अन्तर्गत भूजल संसाधनों के सटीक आकलन के उद्देश्य से यूनिट ड्राफ्ट की सघन एवं वास्तविक गणना के लिए समस्त 271 विकासखण्डों में विकासखण्डवार लघु सिंचाई कार्यों/नलकूपों का लगभग 20% सैम्पल सर्वे कराया जायेगा। सर्वे में विकासखण्ड का कवरेज ग्रिड आधार पर किया जायेगा। सैम्पल सर्वे हेतु विस्तृत प्रारूप एवं दिशा–निर्देश निदेशक, भूगर्भ जल विभाग द्वारा पृथक से क्षेत्रीय खण्डों को उपलब्ध कराये जायेंगे। इस कार्य में खण्डीय अधिकारियों द्वारा स्टाफ की सीमित उपलब्धता/कमी को देखते हुए उपलब्ध स्टाफ की क्षमता का पूर्ण उपयोग करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) **भूजल विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनः** उपरोक्तानुसार संगणित आँकड़ों, मैपिंग, भूजल स्तर एवं रिचार्ज के ट्रेन्ड, पैरामीटर/यील्ड टेस्ट एवं यूनिट ड्राफ्ट के आकलन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर विकासखण्डवार भूजल विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तैयार की जायेगी। प्रतिवेदन में उपरोक्त अध्ययन चरणों में एकत्रित एवं संकलित की गयी समस्त आवश्यक base line informations को सम्मिलित करते हुए विभिन्न संस्तुतियों एवं निष्कर्षों का इस प्रकार समावेश किया जायेगा कि उसके आधार पर माइक्रो लेवल प्लानिंग एवं प्रबन्धन/संरक्षण की दृष्टि से उपयुक्त उपायों (interventions) को चिन्हित/रेखांकित किया जा सके, जिससे

भूजल संरक्षण एवं प्रबन्धन की एकीकृत कार्ययोजना तैयार करने के लिए पर्याप्त आधारभूत आँकड़ें उपलब्ध हो सकें।

उक्तानुसार शहरी क्षेत्रों हेतु भी समग्र भूजल रिपोर्ट भूगर्भ जल विभाग द्वारा तैयार की जायेगी।

4.2—भूजल संरक्षण एवं प्रबन्धन हेतु डी0पी0आर0 तैयार करनाः

भूजल विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन के माध्यम से सम्बन्धित क्षेत्रों (ग्रामीण/शहरी) के भूजल संसाधनों का समग्र परिदृश्य प्राप्त हो सकेगा, जिससे वह सभी जानकारियाँ एवं सूचनाएँ उपलब्ध हो सकेंगी, जो क्षेत्र विशेष में भूजल संरक्षण/प्रबन्धन के लिए आवश्यक होने के साथ उपयोगी भी रहेगी। इस प्रतिवेदन के निष्कर्षों एवं संस्तुतियों के अनुसार वाटरशेडवार माइक्रो प्लानिंग की जायेगी, जिसके आधार पर विभाग द्वारा हर विकासखण्ड हेतु डी0पी0आर0 तैयार की जायेगी।

उक्त डी0पी0आर0 में क्षेत्र की हाइड्रोजियोलाजिकल परिस्थिति का आकलन करके जल सम्वर्धन एवं संचयन की सम्भावयता और सस्सटेनेबिलिटी ज्ञात कर विभिन्न interventions सम्मिलित किये जायेंगे।

कार्ययोजना तैयार करने की मेथडोलाजी इस प्रकार होगीः—

भूगर्भ जल विभाग द्वारा डी0पी0आर0 तैयार करने की प्रकिया (methodology):

(अ) **ग्रामीण क्षेत्र (चयनित विकासखण्ड) हेतुः**

i- सर्वप्रथम चयनित क्षेत्र की विद्यमान हाइड्रोजियोलाजिकल एवं जियोमार्फोलाजिकल परिस्थितियों का विस्तृत आकलन कर कार्ययोजना हेतु विशिष्ट बिन्दुओं को सूचीबद्ध किया जायेगा, जिसके आधार पर जल सम्वर्धन एवं संचयन की सम्भावयता वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर मानचित्र पर दर्शाया जायेगा।

ii- प्रस्तर—4.1 के माध्यम से तैयार समग्र भूजल प्रतिवेदन के निष्कर्षों के आधार पर भूजल रिचार्ज एवं ड्राफ्ट की पुर्नगणना करके यह ज्ञात किया जायेगा कि चयनित विकासखण्डों में इन पैरामीटर्स की realistic स्थिति क्या है, जिससे कि यह आकलन हो सकेगा कि recharge factor में किस स्तर तक सुधार लाया जाना है तथा demand side interventions से ड्राफ्ट में भी किस स्तर तक improvement लाया जा सकता है। इस प्रकार रिचार्ज एवं ड्राफ्ट कम्पोनेन्ट में

सुधार लाये जाने के वास्तविक लक्ष्य तय करके विभिन्न interventions की रूपरेखा निर्धारित हो सकेगी।

iii- माइक्रो प्लान तैयार करने हेतु ग्राम पंचायत के समूहों का वाटरशेड/रिवर बेसिन सिद्धान्त पर चिन्हीकरण किया जायेगा।

iv- विकासखण्ड की सीमा के अन्तर्गत वर्षा जल संचयन/रिचार्ज हेतु उपलब्ध सरप्लस मानसून रन–आफ की गणना की जायेगी, जिसके आधार पर उपलब्ध स्रोत जल (source water) की मात्रा/उपलब्धता का आकलन करके कार्ययोजना का निर्धारण करने में मदद मिलेगी।

(1) भूगर्भ जल विभाग द्वारा विभिन्न हाइड्रोजियोलाजिकल परिस्थितियों के अनुकूल विभिन्न कार्यों/उपायों से सम्बन्धित तकनीकी डिजाइन, विशिष्टियाँ एवं सामग्री तैयार करायी जायेगी।

(2) उपरोक्तानुसार सम्बन्धित विकासखण्डों में वर्षा जल संचयन, भूजल रिचार्ज एवं जल संरक्षण की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्रों एवं गैप्स को भी सीमांकित किया जायेगा, जिससे कि क्षेत्र की आवश्यकता एवं फीजिबिलिटी के अनुसार विविध उपायों/कार्यों की सम्भाव्यता का निर्धारण एवं चयन किया जायेगा और यह भी देखा जायेगा कि ओवर लैपिंग/डुप्लीकेसी की समस्या उत्पन्न न हो।

(3) सप्लाई साइड व डिमाण्ड साइड प्रबन्धन की दृष्टि से स्थानीय फीजिबिलिटी के आधार पर प्रमुख उपायों (interventions) का स्थलवार/क्षेत्रवार चयन एवं चिन्हीकरण किया जायेगा। साथ ही केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा तैयार किये गये 'एक्यूफर मैप्स' के निष्कर्षों को भी उनकी उपलब्धतानुसार कार्ययोजना के विरचन में प्रयुक्त किया जायेगा। क्षेत्रीय फीजिबिलिटी एवं उपयुक्त निष्कर्षों के आधार पर निम्न interventions को क्रियान्वित करने के लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगेः–

क– तालाबों/जलाशयों का जीर्णोद्धार (01 हेक्टेयर तक के तालाबों का जीर्णोद्धार मनेरगा के अन्तर्गत तथा उससे अधिक क्षेत्रफल के तालाबों का निर्माण लघु सिंचाई विभाग द्वारा मुख्यतः किया जायेगा। जलाशयों का जीर्णोद्धार आर0आर0आर0 के अन्तर्गत सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा किया जायेगा)।

ख– चेकडैम निर्माण (लघु सिंचाई विभाग, यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन एवं उ0प्र0 जल निगम द्वारा चेकडैम का निर्माण किया जायेगा)।

ग– खेत तालाब निर्माण (यह कार्य कृषि विभाग द्वारा किया जायेगा)।

घ– जल संरक्षण/संचयन संरचनाओं का निर्माण (स्थानीय फीजिबिलिटी के अनुसार कन्टूर बन्ध, गली प्लग, अर्दन बन्ध, गैबियन, जल संचय बन्धी, पैरीफेरल बन्ध, फील्ड बन्ध, वानस्पतिक अवरोधक आदि) (यह कार्य कृषि विभाग, परती भूमि विकास तथा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा किया जायेगा)।

ङ– कम जल खपत वाली फसल की खेती/वैकल्पिक फसल चक्र में परिवर्तन का आकलन (यह कार्य कृषि विभाग द्वारा किया जायेगा)।

च– ड्रिप व स्प्रिंकलर प्रणाली (यह कार्य उद्यान एवं कृषि विभाग द्वारा किया जायेगा)।

छ– ग्राम वन का विकास/वनीकरण (यह कार्य वन विभाग द्वारा किया जायेगा)।

(4) **सम्बन्धित विभागों का योगदानः** उपरोक्तानुसार सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा एकीकृत कार्य योजना को तैयार करने में समन्वित रूप से योगदान दिया जायेगा।

(5) जनपद स्तरीय तकनीकी समन्वय समिति (टी0सी0सी0) द्वारा चयनित विकासखण्डों की मिशन कार्ययोजना को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

(6) इस सम्बन्ध में तैयार दिशा–निर्देशों को शासन स्तर से परिचालित किया जायेगा।

(7) **सम्भावित लाभः** उपरोक्तानुसार कार्ययोजना के अन्तर्गत तैयार माइक्रो प्लान्स में प्रस्तावित जल संचयन/रिचार्ज कार्यों से होने वाले संभावित अतिरिक्त रिचार्ज (यूनिट रिचार्ज के आधार पर) का आकलन करते हुए उसका समावेश कार्ययोजना के संभावित लाभ (expected outcome) के रूप में किया जायेगा। इसी प्रकार ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई तथा कम जल खपत वाली फसलों की योजना से किस सीमा तक ड्राफ्ट में कमी आयेगी, इसकी भी वैज्ञानिक जानकारी मिल सकेगी। इस प्रकार आगामी वर्षों में सम्बन्धित विकासखण्ड की श्रेणी में होने वाले सम्भावित परिवर्तन का भी उल्लेख किया जायेगा, जिससे मिशन से प्राप्त होने वाले परिणामों का प्रभाव आकलन संभव हो सकेगा।

(8) उपरोक्तानुसार तैयार एकीकृत माइक्रो प्लान्स/डी0पी0आर0 के आधार पर समूह (cluster) में ग्राम पंचायतों के वाटर सिक्योरिटी प्लान्स तैयार हो सकेंगे।

(ब) **शहरी क्षेत्र हेतुः**

शहरी क्षेत्रों की स्वीकृत कार्ययोजना भूगर्भ जल विभाग द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन, नगर विकास विभाग, स्थानीय निकाय निदेशालय आदि के समन्वय एवं सहयोग से नगरीय क्षेत्र के विभिन्न तकनीकी पहलुओं को रेखांकित/सूचीबद्ध करके तैयार किये जायेंगे। शहरी क्षेत्रों की कार्ययोजना में मुख्य रूप से रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग, सामूहिक

रिचार्जिंग, पेवमेन्ट रिचार्ज, वाटर बाडीज आदि विधाओं को विस्तृत रूप से चिन्हित एवं सम्मिलित किया जायेगा।

- उपरोक्तानुसार चयनित विकासखण्डों एवं शहरों के लिए तैयार की जाने वाली कार्ययोजना/डी0पी0आर0 में विभाग द्वारा पत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2005 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से परिचालित तकनीकी गाइडलाइन्स/मार्ग–निर्देशों का भी आवश्यकतानुसार समावेश किया जायेगा। शासनादेश संख्या–111/62–1–2005–1106/2004, दिनांक 28–01–2005 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एकीकृत एक्शन प्लान तैयार किये जाने हेतु विस्तृत गाइड–लाइन (तकनीकी मार्ग–निर्देश) उक्तानुसार तैयार की गयी है।

5– मिशन की गतिविधियों का कियान्वयनः

(1) **विकासखण्ड मिशन कार्ययोजना के माइलस्टोन, टाइम–लाइन एवं विभिन्न योजनाओं का कन्वर्जेन्सः** मिशन के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार तैयार की गयी कार्ययोजना/माइक्रो प्लान्स में विभिन्न कार्यों/गतिविधियों के कियान्वयन एवं संचालन हेतु सम्बन्धित विभागों को चिन्हित किया जायेगा और सम्बन्धित विभागों के कन्वर्जेन्स को कार्ययोजना के डाक्यूमेन्ट में रेखांकित किया जायेगा। टी0सी0सी0 (जनपद स्तरीय तकनीकी समन्वय समिति) एकीकृत कार्ययोजना तैयार करने एवं उसका कियान्वयन समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित कराये जाने हेतु माइलस्टोन्स एवं योजनाओं के कन्वर्जेन्स के तौर–तरीके/माडलिटीज (modalities) का निर्धारण करेगी।

i- कार्ययोजना के अन्तर्गत सम्मिलित माइक्रो प्लान्स के कियान्वयन हेतु सम्बन्धित डाक्यूमेन्ट में कार्यवार एवं विभागवार माइलस्टोन एवं टाइम–लाइन का समावेश किया जायेगा, जिससे कि माइक्रो प्लान्स (डी0पी0आर0) को समयबद्ध ढंग से कियान्वित कराया जा सके और उससे प्राप्त होने वाले परिणामों का भी आकलन हो सके।

ii- **कार्ययोजना अवधिः** मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक विकासखण्ड की कार्ययोजना के कियान्वयन हेतु 2–3 वर्ष की समय–सीमा का लक्ष्य रखा जायेगा।

iii- वर्तमान में संचालित योजनाओं यथा– मनरेगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी0एम0के0एस0वाई0), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0), राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम, बुन्देलखण्ड पैकेज, रिपेयर, रिनोवेशन एवं रेस्टोरेशन आफ वाटर

बाडीज आदि के कन्वर्जेन्स द्वारा मिशन के अन्तर्गत कार्यों का सम्पादन सम्बन्धित विभागों यथा– लघु सिंचाई, उ0प्र0 जल निगम, ग्राम्य विकास, कृषि, उद्यान, सिंचाई एवं जल संसाधन, वन आदि विभागों द्वारा किया जायेगा एवं भूगर्भ जल विभाग द्वारा नोडल विभाग के साथ में सलाहकार/परामर्शी एवं समन्वयक का कार्य किया जायेगा।

iv- वहीं, **शहरों** में आवास एवं शहरी नियोजन तथा नगर विकास विभाग के समन्वय एवं कार्यों के कन्वर्जेन्स से मिशन के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्ययोजना में चिन्हित गतिविधियों को सम्पादित किया जायेगा।

विभिन्न योजनान्तर्गत विभागवार संचालित कार्य

उत्तरदायी विभाग	संचालित कार्य	योजना
लघु सिंचाई विभाग,	• चेकडैम निर्माण • तालाबों का जीर्णोद्धार	राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम/ आर0के0वी0वाई0/ पी0एम0के0एस0वाई0/ बुन्देलखण्ड पैकेज
उ0प्र0 जल निगम,	चेकडैम निर्माण	राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम
ग्राम्य विकास विभाग	तालाबों का जीर्णोद्धार	मनरेगा
वन विभाग	• तालाबों का निर्माण • चेकडैम निर्माण • बन्धी	विभागीय योजना/मनरेगा
कृषि विभाग	• आनफार्म हार्वेस्टिंग/जल संचयन कार्य • खेत तालाब • चेकडैम निर्माण • स्प्रिंकलर/कम जल खपत वाले बीजों का वितरण	विभागीय/आर0के0वी0वाई0/ बुन्देलखण्ड पैकेज/ पी0एम0के0एस0वाई0
परती भूमि विकास विभाग	जल संचयन के कार्य	आई0डब्लू0एम0पी0
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	जलाशयों का पुनरोद्धार/ पुर्नविकास	आर0आर0आर0
उद्यान विभाग	ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली	पी0एम0के0एस0वाई0 (पर ड्राप मोर क्राप)
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग 1– निजी एवं शासकीय भवन 2– शासकीय भवन	विभागीय योजना
समस्त निर्माण एजेन्सियाँ, भूगर्भ जल विभाग एवं अन्य समस्त विभाग		

6– राज्य भूजल संरक्षण मिशन के अन्तर्गत भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश की विभिन्न विभागीय कार्ययोजनाओ के साथ–साथ विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यः–

6.1– उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य –

(i). भूजल गुणवत्ता के अनुश्रवण हेतु 03 उच्च श्रेणी की नवीन प्रयोगशाला जनपद झांसी, गोरखपुर एवं वाराणसी में स्थापित की जायेगी। प्रयोगशाला के अन्तर्गत भूजल नमूनो के बैक्टीरियोलॉजिकल, केमिकल एवं भारी धातु से सम्बन्धित पैरामीटर का विश्लेषण किया जायेगा, जिससे क्षेत्र विशेष की भूजल गुणवत्ता का अध्ययन किया जा सकें।

(ii). उक्त के अतिरिक्त भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश में पूर्व में जनपद सहारनपुर, आगरा एवं लखनऊ में स्थापित 03 रासायनिक प्रयोगशालाओं को भी उच्चीकृत किया जाएगा।

(iii). समस्याग्रस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पूर्व में स्थापित पीजोमीटर पर 750 डिजिटल वाटर लेवल रिकार्डर (DWLR) की स्थापना की जाएगी। DWLR से उच्च गुणवत्ता के रियल टाइम भूजल स्तर का मापन किया जा सकेगा। DWLR से प्राप्त भूजल स्तर के आंकडे सर्वर के माध्यम से विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जायेगे जिससे कि विभिन्न वाटर यूजर्स/स्टेक होल्डर्स को इसका लाभ प्राप्त हो सकें।

(iv). विभाग में पूर्व में स्थापित पीजोमीटर जोकि कालांतर में अक्रियाशील हो चुके है, उनके स्थान पर भूजल स्तर मापन हेतु नये पीजोमीटर का निर्माण कार्य कराया जायेगा। नये प्रस्तावित पीजोमीटर भी DWLR से युक्त होंगे।

6.2– नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य –

(i). Real Time भूजल स्तर मापन हेतु समस्याग्रस्त 271 विकास खण्डो तथा 22 शहरी क्षेत्रों में Key Observation Wells की स्थापना की जायेगी जिसमें Piezomters के साथ प्रत्येक विकास खण्ड में Rain Gauge भी लगाया जायेगा, जिससे कि भूजल स्तर एवं वर्षा जल आकड़ो का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके।

(ii). भूजल स्तर को सतत् एवम् सटीक मापन हेतु उक्त चयनित क्षेत्रों में Water Level Sounder उपलब्ध कराया जाएंगे।

7– सामग्री एवं मानव संसाधन की व्यवस्था एवं गुणवत्ताः

(1) भूगर्भ जल विभाग द्वारा मिशन कार्ययोजना के अन्तर्गत कार्यों का निष्पादन कार्य हेतु उपलब्ध विभागीय बजट से किया जायेगा। इस हेतु अतिरिक्त बजट की आवश्यकता नहीं है। मिशन के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों में पैरामीटर टेस्ट के सम्पादन हेतु आवश्यकतानुसार निर्मित किये जाने वाले आब्जर्वेशन वेल्स के सम्बन्ध में आवश्यक प्राक्कलन एवं विशिष्टियाँ तैयार करते हुए उसका अनुमोदन विभाग में प्रचलित व्यवस्था

के अन्तर्गत सक्षम स्तर से प्राप्त किया जायेगा तथा निर्माण कार्य नियमानुसार वित्तीय नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) जी0आई0एस0 मैपिंग सम्बन्धी कार्यों हेतु साफ्टवेयर, हार्डवेयर आदि का क्रय विभाग में प्रचलित व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार किया जायेगा तथा जी0आई0एस0 मैपिंग हेतु सैटेलाइट डाटा, ग्राम पंचायतवार डिजीटल लेयर्स, डिजीटल टोपोशीट्स, सेन्सस डाटा आदि को उत्तरदायी शासकीय एजेन्सी से नियमानुसार आवश्यकता के अनुरूप क्रय किया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रचलित वित्तीय नियमों के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(3) मिशन में प्रस्तावित गतिविधियों के सम्पादन हेतु कार्यों की आवश्यकतानुसार एवं समुचित स्टाफ की कमी को देखते हुए आउट–सोर्सिंग के माध्यम से कराया जायेगा, जिस पर आने वाला व्यय विभाग द्वारा अपने बजट से कराया जायेगा।

(4) विभिन्न गतिविधियाँ यथा चेकडैम निर्माण, तालाबों का निर्माण/जीर्णोद्धार, बन्धी, आनफार्म हार्वेस्टिंग/जल संचयन कार्य, खेत तालाब, स्प्रिंकलर/कम जल खपत वाले बीजों का वितरण, जल संचयन के कार्य, जलाशयों का पुनरोद्धार/पुर्नविकास, ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली, रूफटाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग आदि कन्वर्जेन्स के माध्यम से संचालित की जायेंगी।

8– जन सहभागिताः

प्रदेश में भूगर्भ जल संसाधनों के प्रभावी प्रबन्धन एवं संरक्षण के लिए अपरिहार्य हो गया है कि इसे एक जन आंदोलन का रूप दिया जाये, क्योंकि यह प्राकृतिक संसाधन सीधे जन मानस से जुड़ा हुआ है और बिना आम जन की सहभागिता के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भूगर्भ जल के गहराते संकट से निपटना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। मिशन के अन्तर्गत तैयार की जाने वाली कार्ययोजना में पानी पंचायत, भूजल सेना व अन्य सामाजिक/स्थानीय संगठनों की भूमिका का भी निर्धारण किया जायेगा, जिससे कि जन सहभागिता को योजना में प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कराया जा सके।

8.1 पानी पंचायतः तालाबों के जीर्णोद्धार के पश्चात प्रत्येक तालाब के रख–रखाव एवं उसे संरक्षित रखे जाने हेतु स्थानीय सहभागिता के माध्यम से 'पानी पंचायत' का गठन किया गया है । इनकी सदस्यों की तालाबों के निर्माण/पुनरोद्धार के कार्य में प्रारम्भ

से ही प्रभावी भूमिका होने से जन मानस में ओनरशिप की भावना जागृत होगी, जिससे भविष्य में भूजल का रिचार्ज होगा और इन तालाबों का रखरखाव सुरक्षा एवं प्रबन्ध भी और अच्छी तरह से हो सकेगा।

8.2 भूजल सेनाः भूगर्भ जल विभाग द्वारा जनपद स्तर पर गठित भूजल सेना के माध्यम से मिशन के उद्देश्यों को चयनित विकासखण्डों एवं शहरों में जन सामान्य एवं स्टेकहोल्डर्स तक प्रसारित करने के साथ भूजल संरक्षण के महत्व के प्रति आम जन को जागरूक किया जायेगा (शासनादेश दिनांक 19–05–2017 की छायाप्रति संलग्न है)। भूजल सेना निम्न गतिविधियाँ संचालित की जायेंगीः–

- पद यात्रा/रैलियों का समय–समय पर आयोजन।
- स्कूल–कालेजों, पंचायतों, आवासीय कालोनियों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भूजल चेतना जागृत करने हेतु संवाद, लघु गोष्ठियों का आयोजन।
- स्वयंसेवी संगठनों एवं सामुदायिक सहभागिता के सहयोग से भूजल मंथन/विचार–विमर्श सत्रों एवं विभिन्न जन जन जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन।
- भूजल संरक्षण एवं प्रबन्धन के सरल उपायों को जनमानस तक प्रसारित करना।

8.3 मोबाईल एप का विकासः

भूजल सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की सूचनाओं/डाटा को आम जनमानस को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार की विश्व बैंक पोषित नेशनल हाइड्रोलाजी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मोबइल ऐप विकसित किया जाएगा। ऐप के माध्यम से आम जनता सम्बन्धित क्षेत्र में अद्यतन भूजल स्तर, भूजल गुणवत्ता, वर्षा जल की उपलब्धता, इत्यादि से परिचित हो सकेगी। ऐप के द्वारा न सिर्फ आम जनमानस के मध्य भूजल सूचनाओं/डाटा का प्रसार हो सकेगा अपितु भूजल संचयन/संरक्षण के नवीनतम उपायों एवम् शासकीय प्रयासों से भी लोग भिज्ञ हो सकेंगे। मोबाईल ऐप पर उपलब्ध सूचनाओं का विभिन्न वाटर यूजर्स के द्वारा आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सकेगा।

मोबाईल ऐप में सूचनाओं के द्विमार्गीय सम्प्रेषण की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसमें जहाँ एक ओर भूगर्भ जल विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों के द्वारा भूजल सम्बन्धी सूचनाओं/डाटा की फीडिंग की जा सकेगी, वही दूसरी ओर आम जनमानस के द्वारा भूजल के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य सुझाव भी उपलब्ध कराया जा सकेगा।

9— अनुश्रवण, उत्तरदायित्व एवं समीक्षा :

मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जनपद एवं प्रदेश स्तर पर पूर्व में गठित विभिन्न समितियों द्वारा अपने कार्यदायित्वों का निर्वहन निम्न प्रकार किया जायेगाः—

i- मास्टर रिचार्ज प्लान एवं भूगर्भ जल विभाग द्वारा तैयार डी0पी0आर0 पर चर्चा।

ii- वर्कशाप्स में विचार—विमर्श।

iii- हर विकासखण्ड/शहरी क्षेत्र हेतु मिशन कार्ययोजना तैयार करना। हर विकासखण्ड का दायित्व तय करना।

iv- क्रियान्वयन

v- मासिक अनुश्रवण

vi- शासन को त्रैमासिक रिपोर्ट।

vii- नियत कार्ययोजना अवधि में पूर्ण।

(1) **जनपद स्तरीय तकनीकी समन्वय समिति (टी0सी0सी0)**: जनपद स्तर पर मिशन अन्तर्गत चिन्हित विकासखण्डों हेतु तैयार माइक्रो प्लान्स/डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में अनुश्रवण, समन्वय तथा विभिन्न योजनाओं के कन्वर्जेन्स के माध्यम से चिन्हित कार्यों के कार्यान्वयन हेतु शासनादेश संख्या—2181/62—1—2000—11एक्यू/2000, दिनांक 02—12—2004 तथा उसके क्रम में निर्गत शासनादेश सं0—690—62—1—2005—1106/2004, दिनांक 19—04—2005 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित 'जनपद स्तरीय तकनीकी समन्वय समिति' के स्तर पर कार्यवाही की जायेगी।

(2) **विशेषज्ञ समिति**: शासनादेश संख्या—180/62—1—2017—01डब्लू0पी0/2017, दिनांक 23—02—2017 द्वारा गठित 'विशेषज्ञ समिति' के स्तर पर मिशन के कार्यों का मार्ग—निर्देशन एवं अनुश्रवण किया जायेगा।

i- विशेषज्ञ समिति द्वारा विकासखण्डों का चयन मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त किया जायेगा।

ii- विशेषज्ञ समिति द्वारा समन्वय एवं अनुश्रवण त्रैमासिक किया जायेगा।

(3) **कार्यकारी समिति**: मिशन से सम्बन्धित कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा शासनादेश संख्या—1140(1)/62—1—2004, दिनांक 12—07—2004 द्वारा मुख्य सचिव

की अध्यक्षता में गठित 'कार्यकारी समिति' के स्तर पर की जायेगी (शासनादेश संलग्न–5)।

10– मिशन हेतु बजट की व्यवस्थाः

(1) भूगर्भ जल विभाग का मुख्य दायित्व राज्य भूजल संरक्षण मिशन के अन्तर्गत प्रस्तावित नियोजन सम्बन्धी कार्यों एवं एकीकृत कार्ययोजना को पूर्ण किया जाना है, जो कि पूर्व प्रस्तरों में रेखांकित किया गया है। यह कार्य प्राविधानित विभागीय बजट के माध्यम से किया जायेगा।

(2) मिशन के अन्तर्गत चिन्हित कार्यों के क्रियान्वयन हेतु बजट की व्यवस्था विभिन्न योजनाओं यथा– मनरेगा, राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बुन्देलखण्ड पैकेज, आर0आर0आर0 तथा विभिन्न विभागों में संचालित योजनाओं में उपलब्ध धनराशि को कन्वर्जेन्स द्वारा जनपद स्तर पर की जायेगी, जिसके लिए शासन स्तर पर सम्बन्धित विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार दिशा–निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

11– मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष में प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष टी0सी0सी0 द्वारा विस्तृत कार्य योजना तैयार कराकर निर्धारित अवधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जायेगा। साथ ही कार्यों की मासिक समीक्षा करते हुए प्रगति आख्या त्रैमासिक रूप से शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

मोनिका एस0 गर्ग
प्रमुख सचिव
अगस्त, 2017